प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 479/2023

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. बृजलाल पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. बलवन्त सिंह पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सावत्री देवी उर्फ सावत्री पत्नी देवतराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 15.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 93/84 के खसरा नं. 26/1040 का कुल क्षेत्रफल 7.3350 है0 भूमि में से 506/1467 हिस्सा व खाता संख्या 634/634 की कुल 6.3480 है0 भूमि व खाता संख्या 726/की कुल 3.6670 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 174/177 के खसरा नं. 301/1 की कुल 1.2650 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि निः संतान औरत है जिसकी सेवा चाकरी वादीगण करते आ रहे है। तथा प्रतिवादीया संख्या 1 वादीगण के पास रहती है इसलिए वादीगण की सेवा चाकरी से प्रसन्न है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीगण की मौसी है व वादीगण की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर एक पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 93/84 के खसरा नं. 26/1040 का कुल क्षेत्रफल 7.3350 है0 भूमि में से 506/1467 हिस्सा व खाता संख्या 634/634 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 6.3480 है0 भूमि मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 174/177 के खसरा नं. 301/1 की कुल क्षेत्रफल 1.2650 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के नाम दर्ज है रोही मौजा सोनड़ी के व खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

संख्या 726/698 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 3.6670 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि रोही पर प्रतिवादीया संख्या 1 यथावत काबिज है। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीया स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीया सं0 1 ने उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी का ईकबाल/आपसी सहमति प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीया संख्या 1 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 93/84 के खसरा नं. 26/1040 का कुल क्षेत्रफल 7.3350 है0 भूमि में से 506/1467 हिस्सा व खाता संख्या 634/634 की कुल 6.3480 है0 भूमि व खाता संख्या 726/की कुल 3.6670 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 174/177 के खसरा नं. 301/1 की कुल 1.2650 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजों से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीया स0 1 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद [illegible] मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया स0 1 को कोई एतराज नही है। [illegible] वाद को प्रतिवादीया स0 1 के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:33 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादी की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 93/84 के खसरा नं. 26/1040 की कुल 7.3350 है0 भूमि में से 506/1467 हिस्सा व खाता संख्या 634/634 की कुल 6.3480 है0 भूमि एवं मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 174/177 के खसरा नं. 301/1 की कुल 1.2650 है0 भूमि उपरोक्त सभी खातो में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा सोनड़ी के व खाता संख्या 726/698 के की कुल 3.6670 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बडबिराना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 479/2023

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. बृजलाल पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. बलवन्त सिंह पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सावत्री देवी उर्फ सावत्री पत्नी देवतराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 479 सन 2023 निर्णय दिनांक 15.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 93/84 के खसरा नं. 26/1040 की कुल 7.3350 है0 भूमि में से 506/1467 हिस्सा व खाता संख्या 634/634 की कुल 6.3480 है0 भूमि एवं मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 174/177 के खसरा नं. 301/1 की कुल 1.2650 है0 भूमि उपरोक्त सभी खातो में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा सोनड़ी के व खाता संख्या 726/698 के की कुल 3.6670 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बडबिराना